FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. कविता पुत्री बद्रीनारायण वगैरा कुल 2 पक्षकार		सुरेन्द्र पंचारिया पुत्र हीरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी सांगावास तहसील जैतारण वगैरा कुल 6 पक्षकार

अपील संख्या 73 /2018

किस्म मुकद्दमा : अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-9-18	वकील अपीलाण्ट उपस्थित। वकील अपीलाण्ट द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 2679/2016 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। वकील अपीलांट की बहस अपील के एडमिशन पर सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस में तर्क दिया कि जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट के पिता बद्रीनारायण का हक हिस्सा निहित है। बद्रीनारायण फौत हो चुके है। रेस्पोडेन्ट संख्या ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत विभाजन हेतु प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलाण्ट एवं उनके पिता को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया, जबकि सह खातेदारान् को विभाजन के वाद में पक्षकार बनाया जाना आज्ञापक प्रावधान है। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6/प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दुर्भीसंधी करते हुए जैर अपील आदेश पारित करवाया, जो आदेश जवाब पेश होने तक प्रभावी किया गया। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस वाद की अपीलाण्ट को जानकारी प्राप्त होने पर अपीलाण्ट द्वारा पक्षकार बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर भी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर येनकेन प्रकारेण स्थगन आदेश को लम्बा किया जा रहा है। इससे अपीलाण्ट की कृषि संक्रियाऐं प्रभावित हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत करते हुए अपीलाण्ट को उसके जायज हकूकों से महरूम रखने की नियत से जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसे निरन्तर बढाया जा रहा है। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र पक्षकारान् के असंयोजन के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज़ योग्य था, जिसे खारिज न कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी कारित की है। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुर्भीसंधी के आधार पर अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया है, जिससे एकमात्र अपीलाण्ट के हक प्रभावित हो रहे है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना एवं प्रभाव को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित करावें। यदि अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को अपील के लम्बित रहते नही रोका जाता है, तो प्रार्थी द्वारा	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई प्रार्थी भविष्य में रूपयो–पैसो में नही कर पायेगा। प्रथम दृष्टया मामला ऑन रेकर्ड सिद्ध है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रश्न है, तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया है, उसके चरण संख्या 3 में अंकित तथ्यों अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जैर अपील विवादित आराजी ग्राम सांगावास के खसरा नम्बर 102, 153, 33, 123/248 कुल खसरा 4 जिसका कुल रकबा 64 बीघा 4 बिस्वा भूमि के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। अब उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड की स्थिति को परखे जाने पर यह प्रकट होता है कि खसरा नम्बर 102, 153 की भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 90 के अनुसार पंकज पुत्र शिवकल्याण ना0बा0की वलिया हेमलता पत्नी शिवकल्याण, महेन्द्र पुत्र उत्तमचन्द ना.बा. की वलिया माता गीता पत्नी उत्तमचन्द पंचारिया ब्राहम्ण सा0 निमाज, पुखराज, भूरालाल, मदनलाल, रामेश्वरलाल, किस्तूरचन्द पि0 कालुराम 1/2, भंवरी पत्नी रामचन्द्र, जगदीश, कैलाश, लक्ष्मीनारायण पि0 रामचन्द्र, वीरेन्द्र पंचारिया, सुरेन्द्र पंचारिया पि0 हीरालाल, बद्रीनारायण पुत्र राजुराम 1/2 कौम ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 123/248 के राजस्व रेकर्ड में जगदीश, कैलाश, लक्ष्मीनारायण पि0 रामचन्द्र, वीरेन्द्र पंचारिया, सुरेन्द्र पंचारिया पि0 हीरालाल, बद्रीनारायण पुत्र राजुराम कौम ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 33 के राजस्व रेकर्ड में कज पुत्र शिवकल्याण ना0बा0की वलिया हेमलता पत्नी शिवकल्याण, महेन्द्र पुत्र उत्तमचन्द ना.बा. की वलिया माता गीता पत्नी उत्तमचन्द पंचारिया ब्राहम्ण सा0 निमाज 1/2, पुखराज, भूरालाल, मदनलाल, रामेश्वरलाल, किस्तूरचन्द पि0 कालुराम 5/12, मदनलाल पुत्र कालूराम 1/4, भंवरी पत्नी रामचन्द्र, जगदीश, कैलाश, लक्ष्मीनारायण पि0 रामचन्द्र, वीरेन्द्र पंचारिया, सुरेन्द्र पंचारिया पि0 हीरालाल, बद्रीनारायण पुत्र राजुराम 1/2 कौम ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार इन समस्त खसरा नम्बरान् की भूमि में अपीलाण्ट के पिता बद्रीनारायण का नाम बतौर सह खातेदार दर्ज है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना सह खातेदार को पक्षकार बनाए विभाजन का वाद नहीं लाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा अनेकानेक सिद्धान्त भी पारित किए गए है, जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न केवल नजरअन्दाज किया है, बल्कि प्रथम दृष्टया दुर्भीसंधी का वाद प्रकट होने के बावजूद उसमें स्थगन आदेश पारित न केवल वाद बाहुल्यता कारित की है, अपितु न्यायिक प्रक्रिया को दूषित किया है। इस सम्बन्ध में वाद दर्ज होने पर जो विधिक स्थिति, जिसका न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाना आवश्यक है, उसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय नियमावली 1956 भाग 2 के अध्याय 2 (ग) के नियम 55 के तहत वादपत्र अथवा आवेदन पत्र का परीक्षण आज्ञापक है, जिसके उप–नियम 4 व 5 का उद्धरण इस प्रकार है – (4) क्या वादपत्र इस प्रकार तैयार किया गया है कि विवादग्रस्त विषयक का अन्तिम रूप से निस्तारण हो सके और भविष्य की मुकदमाबाज़ी से बचा जा सके ? (5) क्या वाद से संबंधित सभी को पक्षकार बनाकर उन्हे सही रूप में अंकित किया गया है ? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन आज्ञापक प्रावधानों की यदि प्राथमिक स्तर पर ही जांच की जाती, तो इस अपील की पृष्ठभूमि ही तैयार नहीं होती। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् की दुर्भीसंधी स्पष्टतया दृष्टिगोचर होने के बावजूद भी स्थगन आदेश पारित किया गया, जो कि विधि सम्मत नहीं है। जहां तक स्थगन की विधिकता का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में स्थगन आदेश जारी करने हेतु जो परिस्थितियां पटल पर होनी चाहिए, उन के बारे में विवेचन किया जाना आवश्यक है, जिसके अनुसार अस्थाई व्यादेश देना या नहीं देना, तीन स्थापिक सिद्धान्तों पर निर्भर करता है, यथा (1) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ? (2) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ? (3) क्या प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है, जिसमें उसके समर्थन में दी गयी साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस मामले को पूर्ण रूप से साबित कर दिया गया है, बल्कि जिस मामले को ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि विरोधी पक्ष खंडित नहीं कर सके, तो वादी को डिक्री मिल जाएगी। ऐसा मामला प्रथम दृष्टया मामला कहा जायेगा। कोई मामला प्राथमिक है अथवा नही ? इसका भार वादी पर होता है। वह शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करें कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जिसका अन्तिम निर्णय वाद में विचारण करके होगा। प्रथम दृष्टया मामले का अर्थ प्रथम दृष्टया हक से नहीं है, जो विचारण पर साक्ष्य से साबित होता है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भाव पूर्वक उठाया गया एक सारभूत प्रश्न है, जिसे अन्वेषण एवं गुणावगुण पर विनिश्चिय किया जाना है। केवल प्रथम दृष्टया मामला से सन्तुष्ट होना ही व्यादेश का आधार नहीं है, बल्कि न्यायायज को अन्य निम्न बिन्दुओं को भी देखना होगा।

(2) सुविधा का सन्तुलन – व्यादेश चाहने वाले पक्ष को सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष में होना बताना पड़ेगा। न्यायालय जब व्यादेश मंजूर कर रहा हो या इन्कार कर रहा हो, तो उसे क्षति को उस सारभूत रिष्टि को ध्यान में रखते हुए युक्ति युक्त न्यायिक विवेचन का प्रयोग करना चाहिये, जो पक्षों को व्यादेश मंजूर करने पर दूसरे पक्ष को हो सकती है। सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष में होना आवश्यक है, जो अनुतोष की मांग करता है।

(3) अपूर्तनीय क्षति – यदि पक्षकार को व्यादेश नहीं दिया गया तो पक्षकार को अपूर्तनीय क्षति होगी और व्यादेश देने के अलावा पक्षकार को अन्य कोई उपचार उपलब्ध नहीं है और क्षति का बेकब्जे के परिणामों से उसे संरक्षण की आवश्यकता है। यह एक तात्विक क्षति होनी चाहिये, जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में पर्याप्त रूप से नहीं की जा सकती हो। यह भी कह सकते है कि उस क्षति की पूर्ति सामान्यताया धन से नहीं की जा सकती हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

व्यादेश प्राप्त करने के लिये उक्त तीनों घटकों का होना आवश्यक है। इनमें से एक के भी अभाव में न्यायालय आदेश देने से इन्कार कर सकता है। न्यायालय यदि मूलभूत घटकों पर विचार नहीं करता है तथा तीनों घटकों पर विचार नहीं किया गया है, तो आदेश विधि के प्रतिकूल है और विचारण न्यायालय को तीनों घटकों पर निष्कर्ष अभिलिखित करना आज्ञापक है।

उपरोक्त बिन्दुओं का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक स्तर पर परीक्षण ही नहीं किया गया तथा न ही यह विवेचित किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी की कृषि संक्रियाऐं किस रूप में बाधित हो रही है, जिसे स्थगन आदेश के जरिये रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। इसके अतिरिक्त न तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र की समुचित जांच की गई एवं न ही राजस्व न्यायालय नियमावली 1956 के भाग 2 के अध्याय 2 (ग) के नियम 55 के तहत वादपत्र अथवा आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 के तहत भी परीक्षण आवश्यक था, जो नहीं किया गया। इन समस्त तथ्यों के परीक्षण के अभाव में समस्त कार्यवाही ही विधिक परीक्षण की मोहताज़ है। इन समस्त तथ्यों की अनदेखी करने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम व्यादेश को किसी भी रूप में नहीं किया गया, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3 व 4 में इस प्रकार के स्पष्ट प्रावधान वर्णित है। इस संबध में आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का उद्धरण इस प्रकार है– आदेश 39 नियम 3

3. Before granting injuction, Court to direct notice to opposite party-

The Court shall in all cases except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction direct notice of the application for the same to given to the opposite party.

(Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by dealy, and require the applicant-

(A) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with-

1. a copy of the affidavit filed in support of the application.
2. a copy of the plaint and
3. copies of doucments on which the applicant relies, and

(b) to file, on the day on which such in such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.)

आदेश 39 नियम 3 (क) सी0पी0सी0 में प्रावधित किया है कि "3-A. Court to disposed application for injunction within thirty days -- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the Court shall make an endeavour to finally dispose of the application within thirty days from the date on which injunction was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reasons its reasons for such inability"

इसी प्रकार आदेश 39 नियम 4 के अनुसार – **Order for injunction may be discharged, varied or set aside.** - Any order for an injunction may be discharged, or varied, or set aside by the Court, on application made thereto by any party dissatisfied with such order:

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व्यादेश प्राप्त करने के लिये उक्त तीनों घटकों का होना आवश्यक है। इनमें से एक के भी अभाव में न्यायालय आदेश देने से इन्कार कर सकता है। न्यायालय यदि मूलभूत घटकों पर विचार नहीं करता है तथा तीनों घटकों पर विचार नहीं किया गया है, तो आदेश विधि के प्रतिकूल है और विचारण न्यायालय को तीनों घटकों पर निष्कर्ष अभिलिखित करना आज्ञापक है। उपरोक्त बिन्दुओं का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक स्तर पर परीक्षण ही नहीं किया गया तथा न ही यह विवेचित किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी की कृषि संक्रियाऐं किस रूप में बाधित हो रही है, जिसे स्थगन आदेश के जरिये रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। इसके अतिरिक्त न तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र की समुचित जांच की गई एवं न ही राजस्व न्यायालय नियमावली 1956 के भाग 2 के अध्याय 2 (ग) के नियम 55 के तहत वादपत्र अथवा आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 के तहत भी परीक्षण आवश्यक था, जो नहीं किया गया। इन समस्त तथ्यों के परीक्षण के अभाव में समस्त कार्यवाही ही विधिक परीक्षण की मोहताज़ है। इन समस्त तथ्यों की अनदेखी करने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम व्यादेश को किसी भी रूप में नहीं किया गया, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3 व 4 में इस प्रकार के स्पष्ट प्रावधान वर्णित है। इस संबध में आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का उद्धरण इस प्रकार है– आदेश 39 नियम 3 3. Before granting injuction, Court to direct notice to opposite party- The Court shall in all cases except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction direct notice of the application for the same to given to the opposite party. (Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by dealy, and require the applicant- (A) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with- 1. a copy of the affidavit filed in support of the application. 2. a copy of the plaint and 3. copies of doucments on which the applicant relies, and (b) to file, on the day on which such in such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.) आदेश 39 नियम 3 (क) सी0पी0सी0 में प्रावधित किया है कि "3-A. Court to disposed application for injunction within thirty days -- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the Court shall make an endeavour to finally dispose of the application within thirty days from the date on which injunction was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reasons its reasons for such inability" इसी प्रकार आदेश 39 नियम 4 के अनुसार – **Order for injunction may be discharged, varied or set aside.** - Any order for an injunction may be discharged, or varied, or set aside by the Court, on application made thereto by any party dissatisfied with such order:	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	[Provided that if in an application for temporary injunction or in any affidavit support such application a part has knowingly made a false or misleading statement in relation to a material particular and the injunction was granted without giving notice to the opposite party, the Court shall vacate the injunction unless, for reasons to be recorded, it considers that it is not necessary so to do in the interests of justice: Provided further that where an order for injunction has been passed after giving to a party an opportunity of being heard, the order shall not be discharged, varied or set aside on the application of that party except where such discharge, variation or setting aside has been necessitated by a change in the circumstances, or unless the Court is satisfied that the order has caused under hardship to that party.] इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय को 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलिखित करना चहिए। उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज होने की अगली तारीख पेशी पर ही दोनों ही पक्षकारान् की सहमति से अस्थाई व्यादेश जवाब प्रस्तुत करने की अवधि तक स्थगन आदेश पारित किया गया है तथा जवाब हेतु रेस्पोडेन्ट्स को दो वर्षो की अवधि में अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद न तो जवाब बन्द किया गया एवं न ही स्थगन आदेश प्रभावोन्मुक्त किया गया। जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 1 के तहत लिखित कथन की समयावधि निर्धारित है, जो सामान्यतया 30 दिवस एवं विशिष्ठ परिस्थितियों में 90 दिवस निर्धारित है। इस अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने की दशा में जवाब का अवसर बन्द किया जाकर आगामी कार्यवाही की ओर अग्रसर होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों का पूर्णतः दरकिनार किया जाकर जैर अपील प्रकरण में कार्यवाही की गई है, जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह पूर्णतः आधारहीन, नियमों का स्पष्टतः दुरूपयोग एवं कानून के उल्लंघन की श्रेणी में परिलक्षित होता है। चूंकि जैर अपील आदेश अन्तरिम आदेश है, जिसके विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को एडमिशन के स्तर पर ही खारिज़ किया जाता है। चूंकि प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओं की पालना करवाई जानी आवश्यक है, तद्नुसार उपखण्ड अधिकारी जैतारण को आदेश दिया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 2679/2016 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 के सम्बन्ध में उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए अधिकतम 60 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे एवं निर्धारित अवधि में प्रकरण का निस्तारण नहीं करने की स्थिति में स्वयं पीठासीन अधिकारी उत्तरदायी होगा। इस आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। **राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली** राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	